

कार्यालय म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, भोपाल
 क्रमांक/खाद प्रशासन/1610/2019 भोपाल, दिनांक 29 5.2019
 प्रसारण क्रमांक खरीफ सीजन 2019 { 4 }

प्रति,

1. जिला विपणन अधिकारी,
म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, समस्त
2. प्रबंध संचालक / महाप्रबंधक / प्रबंधक,
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, समस्त

विषय:- खरीफ सीजन 2019 के लिए सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक विक्रय दरें।

संदर्भ:- इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/खाद प्रशा0/पत्र क्रमांक /6165 भोपाल दिनांक 3/6.11.18 एवं उर्वरक समन्वय समिति की बैठक दिनांक 15.5.2019।

खरीफ 2019 के लिए उर्वरक समन्वय समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक की विक्रय दरें निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैं :-

क	नाम उर्वरक	प्रदाय दर	समस्त सहकारी समितियों एवं संस्थाओं के लिए						कृषकों के लिए विक्रय दर	
			जीएसटी		प्रदाय दर { कालम 3 से 5 का योग }	समिति का वितरण मार्जिन	समिति द्वारा वितरण मार्जिन पर देय कर	प्रतिटन {कालम 6 से 9 का योग }	प्रतिबोरी {(60 किग्रा)}	
			सीजीएसटी	एसजीएसटी						सीजीएसटी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
समस्त प्रदायकों के लिए										
1	सिंगल सुपरफास्फेट (पाउडर)	5665.50	141.64	141.64	5948.78	184.50	4.61	4.61	6142.50	307.13
2	सिंगल सुपरफास्फेट (दानेदार)	6265.50	156.64	156.64	6578.78	184.50	4.61	4.61	6772.50	338.63
3	बोरोनेटेड सिंगलसुपर फास्फेट (पाउडर)	6165.50	154.14	154.14	6473.78	184.50	4.61	4.61	6667.50	333.38
4	बोरोनेटेड सिंगलसुपर फास्फेट(दानेदार)	6765.50	169.14	169.14	7103.78	184.50	4.61	4.61	7297.50	364.88
मेसर्स आईपीएल एवं महाधन फास्फेट के सि0सु0फास्फेट के लिए										
1	सिंगल सुपरफास्फेट (पाउडर)	5315.50	132.89	132.89	5581.28	184.50	4.61	4.61	5775.00	288.75
2	सिंगल सुपरफास्फेट (दानेदार)	5865.50	146.64	146.64	6158.78	184.50	4.61	4.61	6352.50	317.63
3	बोरोनेटेड सिंगलसुपर फास्फेट (पाउडर)	5740.50	143.51	143.51	6027.53	184.50	4.61	4.61	6221.25	311.06
4	बोरोनेटेड सिंगलसुपर फास्फेट(दानेदार)	6340.50	158.51	158.51	6657.53	184.50	4.61	4.61	6851.25	342.56

2. उक्त दरों में भारत सरकार द्वारा लागू की गई सी.जी.एस.टी. एवं राज्य शासन द्वारा लागू एस.जी.एस.टी. सम्मिलित है।
3. जिन समितियों को दिनांक 01.07.2017 से लागू होने के उपरान्त पंजीयन लेना अनिवार्य है, उन समितियों को उक्त अधिनियम में पंजीयन लेकर कर मासिक आधार पर कर भुगतान करने का वैधानिक दायित्व होगा।
4. समितियों द्वारा कृषकों को विक्रय किये जाने वाले उर्वरकों पर वसूल किये गये जी.एस.टी.की राशि में से कर पर भुगतान किये गये जी.एस.टी. की राशि में से घटाकर शेष कर का भुगतान समितियों द्वारा शासन को करने का वैधानिक दायित्व समितियों का होगा।
5. जिला विपणन अधिकारी मासिक कर का रिटर्न निर्धारित समय में लेखा शाखा मुख्यालय भोपाल को प्रस्तुत करेंगे।
6. उक्त दरें दिनांक 1.4.2019 से खरीफ सीजन 2019 के लिए जारी व्यादेशों के विरुद्ध प्राप्त स्क्रंध के लिए प्रभावशील होंगी तथा आगामी सूचना तक प्रभावशील रहेंगी।
7. जिला सहकारी बैंक समितियों को निर्देशित करेंगे, कि समितियाँ जी.एस.टी. कर अधिनियम के अनुसार जी.एस.टी. की वसूल की गई राशि कोषालय में समय पर जमा कर निर्धारित प्रारूप में अपनी रिटर्न जी.एस.टी. विभाग को जमा करेंगी तथा कर का निर्धारण करावेंगी। यह दायित्व जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों का होगा।
8. जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक द्वारा समितियों को जारी किये जाने वाले रिलीज आर्डर पर जी.एस.टी. की दर एवं कर की राशि दर्शित की जाना आवश्यक है। अतः रिलीज आर्डर पर दरों के चार्ट कालम 3.4 और 5 में दर्शित दर अनुसार खाद का मूल्य एवं जीएसटी की राशि का पृथक्-पृथक् दर्शाया जाना आवश्यक होगा अन्यथा समिति को खरीदी पर भुगतान किये गये कर की राशि का रिबेट प्राप्त नहीं होगा और पूर्ण टैक्स की राशि का दायित्व समिति का होगा।
9. भारत सरकार रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय उर्वरक विभाग द्वारा मोबाईल एफएमएस योजना के क्रियान्वयन हेतु ₹ 50.00 प्रतिटन इन्सेटिव के रूप में रिटेलर को देने के लिए दरों में वृद्धि करने के निर्देश दिये गये हैं। रिटेलर को यह इन्सेटिव राशि, प्रदायकवार प्राप्त की गई मात्रा की पावती की पुष्टि एवं स्क्रंध की रिपोर्ट मोबाईल एफएमएस के अंतर्गत किये जाने पर संबंधित प्रदायक द्वारा पृथक् से विपणन संघ के माध्यम से दी जावेगी। यह राशि भारत सरकार के निर्देशानुसार वर्तमान में प्रदायकों द्वारा भुगतान नहीं की जा रही है।*भविष्य में भारत शासन के निर्देशानुसार भुगतान की जावेगी।

उक्त संशोधित दरों एवं निर्देश से संबंधितों को अवगत कराये।

महाप्रबंधक(कृ0सा0)29-5-19

म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या0,

भोपाल

भोपाल, दिनांक 10.05.2019

29-

क्रमांक/खाद प्रशासन/1610/2019

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव एवं पदेन कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कृषि विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
4. सहकारिता आयुक्त एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें मध्यप्रदेश भोपाल ।
5. संभागायुक्त, [समस्त मध्यप्रदेश]
6. संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
7. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित भोपाल ।
8. प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ मर्या0 भोपाल ।
9. प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य कृषि उद्योग विकास निगम भोपाल ।
10. प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल ।

11. कलेक्टर { समस्त मध्यप्रदेश }
12. संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग { समस्त मध्यप्रदेश }
13. संयुक्त आयुक्त, सहकारी समितियां { समस्त मध्यप्रदेश }
14. मण्डल प्रबंधक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित { समस्त }
15. उपसंचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग { समस्त मध्यप्रदेश }
16. उप/सहायक आयुक्त, सहकारी समितियां { समस्त मध्यप्रदेश }
17. प्राचार्य सहकारी प्रबंध संस्थान, त्रिलगा रोड, भोपाल ।
18. प्राचार्य, सहकारी कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान, कोटरा सुल्तानाबाद, भोपाल ।
19. मुख्यालेखाधिकारी सह वित्तीय नियंत्रक, मुख्यालय भोपाल ।
20. उप-मुख्यालेखाधिकारी { क०सा० } / वरिष्ठ लेखाधिकारी { खात } मुख्यालय भोपाल।
21. सीनियर सिस्टम एनालिस्ट आईटी० मुख्यालय भोपाल।
22. निज सहायक, प्रबंध संचालक, म०प्र०राज्य सह०विप०संघ मर्या० मुख्यालय भोपाल।

प्र० महाप्रबंधक { क०सा० } 29-5-19
 म०प्र० राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या० भोपाल